

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाय
मध्यप्रदेश

क्रमांक / 4 / शिका. / अना.अनु. / फा.239 /

भोपाल दिनांक / 03 / 2018,

आदेश

डॉ० धर्मेश बनोधा, चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मूदी जिला खण्डवा के दिनांक 23.05.2011 से कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहने पर संचालनालय के पत्र क्रमांक 504 दिनांक 07.09.2011 द्वारा उनके विरुद्ध मध्य प्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के नियम 27 सह पठित मूलभूत नियम 17-ए के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस एवं ज्ञाप क्रमांक 506 दिनांक 07/09/2011 आरोप-पत्र जारी किया गया। डॉ० धर्मेश बनोधा द्वारा प्रतिवाद उत्तर दिनांक 27.09.2011 को प्रस्तुत किया गया। प्रतिवाद उत्तर समाधान कारक नहीं होने के कारण डॉ० धर्मेश बनोधा के विरुद्ध आरोपित आरोपों की जांच हेतु मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 14 (5) के अंतर्गत विभागीय जांच संस्थित की जाती हैं।

अतः डॉ० धर्मेश बनोधा के विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच प्रकरण में क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें इन्दौर को विभागीय जांच अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, खण्डवा को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया जाता है। विभागीय जांच अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे इस प्रकरण की जांच पूर्ण कर जांच प्रतिवेदन एक माह में अनिवार्यतः प्रस्तुत करें।

(स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित)

(डॉ० जे.पी.खरे)


उप संचालक(शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

पृ० क्रमांक / 4 / शिका. / अना.अनु. / फा.239 / 211 -

भोपाल दिनांक 01 / 03 / 2018,

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय, भोपाल।
2. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें (जांचकर्ता अधिकारी) इन्दौर की ओर।
3. उप संचालक (विज्ञप्त) स्वास्थ्य सेवायें, स्थानीय कार्यालय।
4. मुख्य अस्पताल अधीक्षक (प्रस्तुतकर्ता अधिकारी) जिला खण्डवा की ओर भेजकर लेख है कि इस आदेश की पृष्ठांकन प्रति अपने स्तर से भी जारी कर संबंधित चिकित्सक को तामील करना सुनिश्चित कर पावती की छायाप्रति संचालनालय को 7 दिवस में भेजें।
5. डॉ० धर्मेश बनोधा, चिकित्सा अधिकारी, द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला खण्डवा पता 8-गोयल नगर मेन, चमेली पार्क के सामने, इन्दौर म.प्र.पिन-452018,
6. प्रभारी एम.आई.एस.सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि आदेश पत्र की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
7. स्टॉक फाईल।



(डॉ० जे.पी.खरे)

उप संचालक(शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश


कमांक/4/शिका./डीई-2/2018/ ५५२

भोपाल, दिनांक २५-२-२०१८

//आदेश//

डॉ.ए.के.मेहता, तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच प्रकरण में आदेश कमांक 4/शिका/सेल-2/फा.नं. 373/बडवानी/2018/156, दिनांक 23.01.2018 के द्वारा के द्वारा क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें इंदौर संभाग इंदौर को जांचकर्ता अधिकारी तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बडवानी को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया था। उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, उज्जैन संभाग उज्जैन को जांचकर्ता अधिकारी नियुक्त किया जाकर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बडवानी प्रस्तुतकर्ता अधिकारी यथावत रहेंगे। आदेश की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

(स्वास्थ्य आयुक्त म.प्र. द्वारा आदेशित)



उप संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.कमांक/4/शिका./डीई-2/2018/ ५५३

भोपाल, दिनांक २५-२-२०१८

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल मध्यप्रदेश।
2. निज सहायक आयुक्त स्वास्थ्य म.प्र.।
3. कलेक्टर जिला उज्जैन/इंदौर/बडवानी।
4. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, उज्जैन संभाग उज्जैन म.प्र. (जांचकर्ता अधिकारी) की ओर आदेश की प्रति भेजकर लेख है कि प्रकरण की जांच एक माह की समयावधि में पूर्ण कर जांच प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करें।
5. उप संचालक, विज्ञप्त/गोपनीय/लीगल शाखा स्थानीय कार्यालय।
6. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, इंदौर संभाग इंदौर की ओर सूचनार्थ।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बडवानी (प्रस्तुतकर्ता अधिकारी) की ओर प्रकरण में तत्काल कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
8. डॉ.ए.के.मेहता, संयुक्त संचालक, कार्यालय क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, उज्जैन संभाग उज्जैन - द्वारा- क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें, उज्जैन संभाग उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
9. प्रभारी एम.आई.एस.सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर आदेश की प्रति भेजकर लेख किया जाता है कि जारी आदेश विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करें।
10. आदेश नस्ती।



उप संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

कमांक/4/शिका./सेल-7/देवास/2018 | 420

भोपाल दिनांक 24-2-2018


आदेश /

जिला दण्डाधिकारी (कलेक्टर) देवास के पत्र क्र. 1271 दिनांक 18.04.2017 द्वारा अवगत कराया है कि थाना सतवास के मर्ग कमांक 21/2016 धारा 174 जाफौ की जाँच के दौरान मृतिका संगीता की माँ लीलाबाई एवं मृतका के पिता नंदलाल तथा डॉ. रवि वर्मा का कथन एवं पी.एच.सी. सतवास तथा एनर्जी हॉस्पिटल देवगुराडिया से प्राप्त संगीताबाई के इलाज के कागजात का अवलोकन करने पर पाया गया कि दिनांक 25.07.2016 को संगीताबाई का टी.टी. नसबंदी का ऑपरेशन पी.एच.सी. सतवास में डॉ. अर्चना मिश्रा पति श्री रितेश तवर पी.एस.सी. सतवास के द्वारा किया गया। लेख किया गया है कि उन्होंने नसबंदी के लिए बच्चादानी व अंडाशय के बीच की वाहन नली के स्थान पर लापरवाही पूर्वक पेट की बड़ी आँत काट दी। दिनांक 28.07.2016 तक पी.एच.सी. सतवास में रखने के बाद एम.जी.एच. हॉस्पिटल देवास रिफर किया गया। संगीता बाई के परिजनो द्वारा एनर्जी हॉस्पिटल देवगुराडिया ले जाकर भर्ती करवाया गया। जिसकी इलाज के दौरान दिनांक 30.07.2016 को मृत्यु हो गयी। मर्ग जाँच पर डॉ. अर्चना मिश्रा पति श्री रितेश तवर के विरुद्ध धारा 304 - ए भद्रवि का अपराध पाए जाने से थाना सतवास पर अपराध कमांक 339/2016 धारा 304 - ए भद्रवि का कायम कर विवेचना में लिया गया। उक्त प्रकरण में स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा डॉ. बी.एन. चौहान संचालक के नेतृत्व में जाँच दल गठित कर जाँच प्रतिवेदन अभिमत सहित प्राप्त करने के निर्देश दिये गये हैं।

- 1 संचालक स्वास्थ्य सेवाये, - डॉ. बी.एन. चौहान अध्यक्ष।
- 2 उप संचालक, मातृत्व स्वास्थ्य - डॉ. श्रीमती अर्चना मिश्रा।
- 3 उप संचालक, परिवार कल्याण - डॉ. निधी पटेल।

जाँच दल एक महिने में अपना जाँच प्रतिवेदन आवश्यक रूप से उपलब्ध करावेगा।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा आदेशित।


(डॉ. जे.पी. खरे)

उपसंचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश
भोपाल दिनांक

कमांक/4/शिका./सेल-7/देवास/2018

प्रतिलिपी- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल म.प्र.।
2. निज सहायक स्वास्थ्य आयुक्त स्थानीय कार्यालय।
3. कलेक्टर जिला देवास म.प्र.।
4. संचालक स्वास्थ्य सेवाये, - डॉ. बी.एन. चौहान।
5. उप संचालक, मातृत्व स्वास्थ्य - डॉ. श्रीमती अर्चना मिश्रा।
6. उप संचालक, परिवार कल्याण - डॉ. निधी पटेल।
7. पुलिस अधीक्षक देवास म.प्र.।
8. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाये, उज्जैन संभाग उज्जैन म.प्र.।
9. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला देवास म.प्र.।

उपसंचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश


कमांक/4/शिका./डीई-2/2018/ ५०५

भोपाल, दिनांक २३-२-२०१८

//आदेश// ✓

डॉ.आर.पी.श्रीवास्तव, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अनूपपुर के विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच प्रकरण में आदेश कमांक 4/शिका./डीई-2/2016/130, दिनांक 25.01.2016 के द्वारा डॉ. बी. एन.चौहान, संचालक, एन.एच.एम., म.प्र. भोपाल को जांचकर्ता अधिकारी तथा संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, रीवा संभाग रीवा (क्षेत्रीय संचालक रीवा) को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया था। उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, रीवा को जांचकर्ता अधिकारी तथा उप संचालक, कार्यालय क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें, रीवा संभाग रीवा को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया जाता है। आदेश की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

(स्वास्थ्य आयुक्त म.प्र. द्वारा आदेशित)



(डॉ.जे.पी.खरे)

उप संचालक (शिका)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.कमांक/4/शिका./डीई-2/2018/

भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, बल्लभ भवन भोपाल मध्यप्रदेश।
2. निज सहायक आयुक्त स्वास्थ्य म.प्र.।
3. कलेक्टर जिला अनूपपुर।
4. डॉ.बी.एन.चौहान, संचालक, एन.एच.एम. म.प्र. भोपाल।
5. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें रीवा संभाग रीवा (जांचकर्ता अधिकारी) की ओर आदेश की प्रति भेजकर लेख है कि प्रकरण की जांच एक माह की समयावधि में पूर्ण कर जांच प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करें।
6. उप संचालक कार्यालय क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, रीवा संभाग रीवा (प्रस्तुतकर्ता अधिकारी) स्थानीय कार्यालय की ओर सूचनार्थ एवं तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
7. उप संचालक, विज्ञप्त/गोपनीय/लीगल शाखा स्थानीय कार्यालय।
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अनूपपुर।
10. डॉ.आर.पी.श्रीवास्तव, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अनूपपुर। द्वारा -क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें रीवा संभाग रीवा की ओर सूचनार्थ एवं तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
11. प्रभारी एम.आई.एस.सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर आदेश की प्रति भेजकर लेख किया जाता है कि जारी आदेश विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करें।
12. आदेश नस्ती।

उप संचालक (शिका)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

कमांक/4/शिका./सेल-7/उज्जैन/फा.न.124/2018

1365


भोपाल दिनांक 19/2/18

आदेश

डॉ. महेश मरमट अस्थिरोग विशेषज्ञ ट्रामा सेंटर माधव नगर चिकित्सालय उज्जैन को संचालनालय के आदेश कमांक 2119 दिनांक 13.08.2015 के द्वारा निलंबित किया जाकर ज्ञाप कमांक 2455 दिनांक 24.09.2015 के द्वारा आरोप पत्र जारी किया गया एवं प्रतिवाद उत्तर संभागीय संयुक्त संचालक उज्जैन के माध्यम से चाहा गया। डॉ. मरमट को शासन आदेश कमांक 1654/779/2016/17 मेडि-1 दिनांक 19.07.2016 के द्वारा निलंबन से बहाल करके जिला चिकित्सालय शाजापुर में पदस्थ किया गया।

डॉ. मरमट द्वारा प्रतिवाद उत्तर प्रस्तुत नहीं करने के कारण विभागीय जांच संस्थित करते हुए क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, उज्जैन को विभागीय जांच अधिकारी तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उज्जैन को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया जाता है। विभागीय जांच अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में जांच एक माह में पूर्ण करके जांच प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा आदेशित।



(डॉ. जे.पी. खरे)

उपसंचाल (शिकायत)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश


भोपाल दिनांक 19/2/18

कमांक/4/शिका./सेल-7/उज्जैन/फा.न. 124/2018

1366

प्रतिलिपी- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल म.प्र.।
2. निज सहायक स्वास्थ्य आयुक्त स्थानीय कार्यालय।
3. कलेक्टर जिला उज्जैन/शाजापुर म.प्र.।
4. उप संचालक, विज्ञप्त, गोपनीय, लीगल स्थानीय कार्यालय।
5. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, उज्जैन संभाग उज्जैन वर्तमान में जिला चिकित्सालय शाजापुर म.प्र.।
6. डॉ. महेश मरमट अस्थिरोग विशेषज्ञ माधव नगर चिकित्सालय उज्जैन म.प्र.।
7. प्रभारी एम.आई.सेल स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी आदेश विभाग की बेवसाइट पर अपलोड करावें।
8. आदेश नस्ति



उपसंचाल (शिकायत)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

कमांक / 4 / शिका. / सेल-7 / देवास / फा.न. 64 / 2018 | 282

भोपाल दिनांक 08-2-2018


आदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म.प्र. के ज्ञाप क. 2056 दिनांक 07.08.2014 के द्वारा डॉ. पुष्पराज सिंह निश्चेतना विशेषज्ञ जिला चिकित्सालय रतलाम को विरुद्ध आरोप पत्र जारी किया गया था। आरोप पत्र का प्रतिवाद उत्तर 15 दिवस में संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें, उज्जैन के माध्यम से चाहा गया था।

डॉ. पुष्पराज सिंह निश्चेतना विशेषज्ञ जिला चिकित्सालय रतलाम ने अपना प्रतिवाद उत्तर प्रेषित नहीं किया। प्रतिवाद उत्तर प्रस्तुत नहीं करने के कारण डॉ. पुष्पराज सिंह के विरुद्ध विभागीय जांच संस्थित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

अतः डॉ. पुष्पराज सिंह निश्चेतना विशेषज्ञ जिला चिकित्सालय रतलाम के विरुद्ध विभागीय जांच संस्थित करते हुए, क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें, उज्जैन संभाग को विभागीय जांच अधिकारी तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रतलाम को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया जाता है। विभागीय जांच अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में विभागीय जांच एक माह में पूर्ण करते हुए जांच प्रतिवेदन संचालनालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा आदेशित।



(डॉ. जे.पी. खरे)

उपसंचाल (शिकायत)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

भोपाल दिनांक

कमांक / 4 / शिका. / सेल-7 / देवास / फा.न. 64 / 2018 |
प्रतिलिपी - सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल म.प्र.।
2. निज सहायक स्वास्थ्य आयुक्त स्थानीय कार्यालय।
3. कलेक्टर जिला रतलाम म.प्र.।
4. उप संचालक, विज्ञप्त, गोपनीय, लीगल स्थानीय कार्यालय।
5. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, उज्जैन संभाग उज्जैन एवं प्रकरण में विभागीय जांच अधिकारी की ओर जारी आदेश की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी आदेश में दी गई समायावधि में विभागीय जांच प्रतिवेदन अपने अभिमत सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला रतलाम एवं प्रकरण में प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की ओर जारी आदेश की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त विषयांकित प्रकरण में जांचकर्ता अधिकारी को जांच में पूर्ण सहयोग प्रदान करें।
7. डॉ. पुष्पराज सिंह निश्चेतना विशेषज्ञ जिला चिकित्सालय रतलाम म.प्र.।
8. प्रभारी एम.आई.सेल स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी आदेश विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करावें।
9. आदेश नस्ति

(डॉ. जे.पी. खरे)

उपसंचाल (शिकायत)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 30/01/2018

एफ/19-01/2018/17/मेडि-1 :: मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला धार के आदेश क्रमांक/स्थापना/2017/7705-06 दिनांक 28.09.2017 द्वारा स्व.श्री लाखनसिंह यादव, सेवानिवृत्त ड्रेसर, जिला चिकित्सालय, धार के सेवा स्वत्वों के भुगतान में घोर लापरवाही बरती जाने के कारण कार्यालय सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, धार में पदस्थ लेखापाल श्री श्रीकृष्ण मुकाती को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1) के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए निलंबन काल में श्री मुकाती का मुख्यालय जिला कार्यालय धार निर्धारित किया गया है ।


2/- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला धार के उपर्युक्त निलंबन आदेश दिनांक 28.09.2017 के विरुद्ध श्री श्रीकृष्ण मुकाती, निलंबित लेखापाल, कार्यालय सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, धार द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 सातवाँ भाग-अपील नियम-23 के अन्तर्गत एक अपीलीय अभ्यावेदन दिनांक 11.10.2017 कार्यालय सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, धार के पत्र क्रमांक/स्थापना/2017/4288 दिनांक 11.10.2017 के माध्यम से विभाग में प्रस्तुत किया गया । सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, धार के पत्र दिनांक 11.10.2017 में यह उल्लेख किया है कि जिन आरोपों के संबंध में श्री श्रीकृष्ण मुकाती, लेखापाल को निलंबित किया गया है वह कार्य उन्हें आवंटित ही नहीं था । ऐसी स्थिति में उनका निलंबन आदेश त्रुटिपूर्ण है और इस आधार पर उनके अपीलीय अभ्यावेदन का निराकरण कर उन्हें बहाल किया जाए ।

3/- उक्त प्रकरण के तथ्यात्मक परीक्षण उपरांत यह स्थिति स्पष्ट हुई है कि श्री श्रीकृष्ण मुकाती, लेखापाल को स्व.श्री लाखनसिंह यादव, सेवानिवृत्त ड्रेसर के सेवा स्वत्वों का भुगतान न करने के कदाचरण में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला धार द्वारा निलंबित किया गया है । चूंकि श्री मुकाती सिविल सर्जन, धार के अधीन पदस्थ है अतः इनके कार्यों का सही ऑकलन सिविल सर्जन, धार के द्वारा ही किया जा सकता है । सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, धार ने पत्र दिनांक 11.10.2017 में यह उल्लेख किया है कि श्री श्रीकृष्ण मुकाती के पास लेखा शाखा का प्रभार नहीं था और न ही कभी यह कार्य उन्हें आवंटित किया गया । जबकि लेखा शाखा का कार्य श्री देवीसिंह, लेखापाल द्वारा वर्ष 2010-11 से किया जा रहा है । अतः स्व.श्री लाखनसिंह यादव, सेवानिवृत्त ड्रेसर के देय स्वत्वों का निराकरण नहीं किये जाने के संबंध में श्री श्रीकृष्ण मुकाती दोषी नहीं हैं, अपितु लेखाशाखा के प्रभारी के रूप में श्री देवीसिंह उत्तरदायी हैं ।

4/- इस प्रकार चूंकि प्रारंभिक जांच में सामने आये तथ्यों के आधार पर श्री श्रीकृष्ण मुकाती को प्रथमदृष्टया दोषी मानते हुए निलंबित किया गया है । किन्तु प्रकरण के तथ्यों के अवलोकन से प्रथमतः यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि लेखा शाखा का कार्य श्री मुकाती को आवंटित नहीं होने के कारण सीधे उनका उत्तरदायित्व नहीं माना जाना चाहिए । फलस्वरूप फिलहाल इन तथ्यों के आधार पर श्री मुकाती के अपीलीय अभ्यावेदन पर विचार कर निराकरण किया जाना है । यद्यपि जिन आरोपों पर श्री श्रीकृष्ण मुकाती को निलंबित किया गया है, उनकी विस्तृत जांच होने के पश्चात् ही वस्तुस्थिति स्पष्ट हो सकेगी ।

5/- अतः उपरोक्त उल्लेखित तथ्यात्मक वस्तुस्थिति के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन एतद्वारा पूर्ण विचारोपरान्त प्रकरण के गुण-दोष के आधार पर श्री श्रीकृष्ण मुकाती, निलंबित लेखापाल, कार्यालय सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, धार का अपीलीय अभ्यावेदन दिनांक 11.10.2017 को मान्य करते हुए, इन्हें निलंबन से बहाल किया जाता है। साथ ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला धार को जांच कार्यवाही तीन माह में पूर्ण किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार


(अर्जुन नथानियल)
अवर सचिव


मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ0क्रमांक एफ/19-01/2018/17/मेडि-1
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 30 / 01 / 2018

- 1- आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएँ, म0प्र0 भोपाल।
- 2- क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ, सागर संभाग, सागर।
- 3- कलेक्टर, जिला धार।
- 4- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला धार।
- 5- सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, धार को उनके पत्र दिनांक 11.10.2017 के संदर्भ में।
- 6- उप. संचालक, (विज्ञाप) संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, भोपाल की ओर आदेश बेबसाइड पर प्रदर्शित हेतु।
- 7- श्री श्रीकृष्ण मुकाती, निलंबित लेखापाल, कार्यालय सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, धार।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

क्रमांक/4/शिका./डीई-2/2018/

भोपाल दिनांक

/ /आदेश/ /

डॉ. डी.पी. सिंह, तत्कालीन सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक होशंगाबाद के विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच प्रकरण में आदेश क्रमांक 4/शिका./डीई-2/2016/278, दिनांक 18.02.2016 के द्वारा डॉ. के.एल.साहू, संचालक स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र. को जांचकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया था। डॉ. के.एल.साहू, संचालक के पद से सेवानिवृत्त होने के कारण उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये डॉ. के.के.ठरसू, संचालक स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र. भोपाल को जांचकर्ता अधिकारी नियुक्त किया जाता है। उपरोक्त विभागीय जांच प्रकरण में क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें भोपाल संभाग भोपाल प्रस्तुतकर्ता अधिकारी यथावत रहेंगे।

(स्वास्थ्य आयुक्त म.प्र. द्वारा आदेशित)

(डॉ. जे.पी. खरे)

उप संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पू क्रमांक/4/शिका./डीई-2/2018/ 194

भोपाल, दिनांक 25-1-18

प्रतिलिपि: =

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल मध्यप्रदेश।
2. निज सहायक आयुक्त स्वास्थ्य म.प्र.।
3. कलेक्टर जिला होशंगाबाद/नरसिंहपुर।
4. डॉ. के.के.ठरसू, संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र. भोपाल (जांचकर्ता अधिकारी) की ओर आदेश की प्रति भेजकर लेख है कि प्रकरण की जांच एक माह की समयावधि में पूर्ण कर जांच प्रतिवेदन अधीहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
5. उप संचालक, विज्ञप्त/गोपनीय/लीगल शाखा-स्थानीय कार्यालय।
6. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें भोपाल संभाग भोपाल (प्रस्तुतकर्ता अधिकारी) की ओर सूचनार्थ एवं तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी होशंगाबाद/नरसिंहपुर।
8. डॉ. डी.पी. सिंह, तत्कालीन सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक होशंगाबाद वर्तमान में सर्जिकल स्पेशलिस्ट जिला चिकित्सालय नरसिंहपुर - द्वारा सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक नरसिंहपुर की ओर सूचनार्थ एवं तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
9. प्रभारी एम.आई.एस.सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर आदेश की प्रति भेजकर लेख किया जाता है कि जारी आदेश विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करें।
10. आदेश नस्ती।



उप संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

कमांक / 4 / शिका. / सेल-2 / फा.न. 373 / बडवानी / 2018 / 156

भोपाल दिनांक 23-1-18


✓ आदेश

डॉ. ए.के. मेहता, तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बडवानी वर्तमान में संयुक्त संचालक कार्यालय क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें, इन्दौर संभाग इन्दौर जिला बडवानी में पदस्थी के दौरान वर्ष 2013 में दिनांक 01.5.2013 से 21.06.2015 की अवधि में कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधी से कलेक्टर दर पर नियुक्त कर्मचारियों को जारी नियमितकरण आदेश संबंधी प्रक्रिया में आरक्षण नियमों तथा निर्धारित रोस्टर का पालन नहीं किये जाने संबंधी जानकारी संज्ञान में आने पर प्रकरण की जांच संचालनालय के आडिट दल द्वारा की गई।

आडिट जांच प्रतिवेदन के आधार पर संचालनालय के ज्ञाप 4/शिका./सेल-2/बडवानी/एफ-373/2016/2726 दिनांक 24.12.2016 द्वारा डॉ.ए.के.मेहता के विरुद्ध आरोप पत्रादि जारी किया गया। जिसका डॉ. मेहता द्वारा प्रतिवाद उत्तर दिनांक 16.01.2017 को प्रस्तुत किया।

डॉ. मेहता द्वारा प्रस्तुत उत्तर परीक्षणोपरांत समाधानकारक नहीं होने के परिणामस्वरूप प्रकरण में विभागीय जांच संस्थित किये जाने का निर्णय लिया गया। संस्थित विभागीय जांच में क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें, इन्दौर संभाग इन्दौर को जांचकर्ता अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बडवानी को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया जाता है। जांचकर्ता अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे विभागीय जांच की कार्यवाही एक माह में पूर्ण करते हुए जांच प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा आदेशित।




(डॉ. जे.पी. खरे)
उप संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

//2//

पृ.कमांक/4/शिका./सेल-2/फा.न. 373/बडवानी/2018/157
प्रतिलिपी:- सूचनार्थ एवं आवयक कार्यवाही हेतु:-

भोपाल दिनांक 23-11-18

- 1 प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल म.प्र.।
- 2 निज सहायक स्वास्थ्य आयुक्त म.प्र.।
- 3 कलेक्टर जिला बडवानी म.प्र.।
- 4 उप संचालक, विज्ञप्त/गोपनीय/लीगल शाखा स्थानीय कार्यालय की ओर प्रेषित।
- 5 क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाये, इन्दौर संभाग इन्दौर (जांच कर्ता अधिकारी) की ओर आदेश की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि विषयांतर्गत प्रकरण में जांच प्रतिवेदन आदेश में वर्णित समयावधि एक माह में संचालनालय को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें।
- 6 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बडवानी (प्रस्तुतकर्ता अधिकारी) म.प्र. की ओर जारी आदेश की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि विषयान्तर्गत प्रकरण में जांचकर्ता अधिकारी को अनिवार्य रूप से सहयोग प्रदान कर प्रकरण की जांच एक माह में पूर्ण करावें।
- 7 डॉ. ए.के. मेहता संयुक्त संचालक, कार्यालय क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाये उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा- क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाये उज्जैन संभाग उज्जैन म.प्र.।
- 8 प्रभारी एम.आई.एस. सेल स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करें।
- 9 आदेश नस्ति।



उप संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

क्रमांक 4/शिका/सेल.3/एफ.38/छतरपुर/2018/135 भोपाल, दिनांक 22-1-18

आदेश

22-1-18

डॉ. उषा तिवारी, महिला चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नौगांव जिला छतरपुर के विरुद्ध स्वास्थ्य केन्द्र में आनेवाली प्रसूताओं से अवैध रूप से फीस लेकर प्रसूताओं को चिकित्सालय में भर्ती करने, जननी सुरक्षा योजनातर्गत हितग्राही को लाभ नहीं मिलने के संबंध में संचालनालय के ज्ञाप दिनांक 09.11.2010 द्वारा डॉ. श्रीमती तिवारी को आरोप पत्र जारी किये गये। प्रतिवाद उत्तर प्राप्त न होने के कारण संचालनालय के पत्र दिनांक 30.1.2017, 25.4.2017 एवं 27.6.2017 द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी छतरपुर को डॉ. उषा तिवारी की तामिली रिपोर्ट एवं प्रतिवाद उत्तर उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।

डॉ. श्रीमती तिवारी का प्रतिवाद उत्तर दिनांक 02.11.2017 को संचालनालय में प्राप्त हुआ, जिसका परीक्षण किया गया। परीक्षणोपरांत उत्तर समाधानकारक नहीं पाये जाने के कारण विभागीय जांच संस्थित किये जाने का निर्णय लिया गया है। संस्थित विभागीय जांच में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी छतरपुर को जांचकर्ता अधिकारी तथा जिला परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य अधिकारी छतरपुर को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया जाता है। जांचकर्ता अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि विभागीय जांच की कार्यवाही एक सप्ताह में पूर्ण कर जांच प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा आदेशित।

(डॉ. जे. पी. खरे)

उप संचालक (शिका.)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,

मध्यप्रदेश,

पु0क्रमांक 4/शिका/सेल.3/एफ.38/छतरपुर/2018/136

भोपाल, दिनांक 22-1-18

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भवन, भोपाल।
2. निज सहायक, स्वास्थ्य आयुक्त स्थानीय कार्यालय।
3. कलेक्टर छतरपुर म.प्र.।
4. संचालक स्वास्थ्य सेवायें (विधान सभा)स्थानीय कार्यालय।
5. क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें, सागर संभाग सागर म.प्र.।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी छतरपुर (जांचकर्ता अधिकारी) म.प्र.।
7. उप संचालक विधान सभा/विज्ञाप शाखा स्थानीय कार्यालय की ओर जिन ल. प्र. क्रमांक 4942 (जुलाई, 2009) ये उद्भूत आश्वासन क्रमांक 1109 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
8. जिला परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य अधिकारी छतरपुर, प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी छतरपुर को निर्देशित किया जाता है कि उपर्युक्त निर्देशित जांच प्रकरण में जांचकर्ता अधिकारी को आवश्यक सहयोग प्रदान करें।
9. डॉ. श्रीमती उषा तिवारी, चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नौगांव द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी छतरपुर म.प्र.।
10. प्रभारी, एम.आई.एस सेल स्थानीय कार्यालय की ओर जारी आदेश दिनांक 22-1-18 पर अपलोड करने के हेतु प्रेषित।
11. आदेश नस्ती।

(डॉ. जे. पी. खरे)

उप संचालक (शिका.)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,

मध्यप्रदेश,

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक / 4 / शिका. / अना.अनु. / फा.254 /

भोपाल दिनांक / 01 / 2018,

आदेश

डॉ० यशोधरा मण्डलोई, चिकित्सा अधिकारी, द्वारा सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला धार को दिनांक 18.05.2011 से कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहने पर संचालनालय के पत्र क्रमांक 605 / 607 दिनांक 28.09.2011 द्वारा कारण बताओ नोटिस एवं द्वारा आरोप-पत्र जारी किया गया। डॉ० यशोधरा मण्डलोई द्वारा प्रतिवाद उत्तर समय अवधि में प्राप्त ना होने पर स्वास्थ्य आयुक्त, मध्य प्रदेश इनके विरुद्ध आरोपित तथ्यों की जांच हेतु मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 14 (5) के अर्न्तगत विभागीय जांच संस्थित की जाती हैं।

अतः डॉ० यशोधरा मण्डलोई के विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच प्रकरण में क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें इन्दौर को जांचकर्ता अधिकारी एवं सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला धार को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया जाता है। जांचकर्ता अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे इस प्रकरण की जांच पूर्ण कर प्रतिवेदन एक माह में अनिवार्यतः प्रस्तुत करें।

(स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित)

(डॉ० जे.पी.खरे)


उप संचालक(शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

पृ.क.क्रमांक / 4 / शिका. / अना.अनु. / फा.254 / 10 -

भोपाल दिनांक 11 / 01 / 2018,

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय, भोपाल।
2. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें (जांचकर्ता अधिकारी) इन्दौर की ओर।
3. उप संचालक (विज्ञप्त) स्वास्थ्य सेवायें, स्थानीय कार्यालय।
4. तात्कालीन सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक (प्रस्तुतकर्ता अधिकारी) जिला धार की ओर भेजकर लेख है कि इस आदेश की पृष्ठांकन प्रति अपने स्तर से भी जारी कर संबंधित चिकित्सक को तामील करना सुनिश्चित कर प्राप्ती अभिस्वीकृति की छायाप्रति संचालनालय को लौटती डाक से भेजें।
5. डॉ० यशोधरा मण्डलोई, चिकित्सा अधिकारी, द्वारा सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला धार / डॉ० यशोधरा मण्डलोई, चि० अ० 3027 सेक्टर ई सुदामा नगर, इन्दौर म.प्र.पिन-452009,
6. प्रभारी एम.आई.एस.सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि आदेश पत्र की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
7. स्टॉक फाईल।



उप संचालक(शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

:: आदेश ::


भोपाल, दिनांक 02/01/2018

क्रमांक एफ 13-07/2013/सत्रह/मेडि-1 : इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 11/08/2017 द्वारा लोकायुक्त जांच प्रकरण क्रमांक 167/2012-डॉ. अशोक शर्मा, तत्कालीन संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ भोपाल की विभागीय जांच में श्री उमेश कुमार, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, मध्यप्रदेश एड्स नियंत्रण समिति भोपाल को जांचकर्ता अधिकारी एवं डॉ. के.एल. साहू, संचालक (मलेरिया), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें भोपाल को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया था।

2/- उल्लेखनीय है कि डॉ. अशोक शर्मा, तत्कालीन संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ भोपाल की उपरोक्त विभागीय जांच प्रकरण क्रमांक 167/2012 में प्रस्तुतकर्ता अधिकारी डॉ. के.एल.साहू, संचालक, (मलेरिया) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें भोपाल दिनांक 30/12/2017 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

3/- अतः राज्य शासन एतद् द्वारा डॉ. साहू के स्थान पर डॉ. बी.एन. चौहान, संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भोपाल को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(कवीन्द्र कियावत)
सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ.क्रमांक एफ 13-07/2013/सत्रह/मेडि-1
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 02/01/2018

- 1- आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएँ, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु संबंधितों को निर्देशित करने एवं आदेश की एक प्रति डॉ. अशोक शर्मा को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 2- श्री उमेश कुमार, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, मध्यप्रदेश एड्स नियंत्रण समिति भोपाल (जांचकर्ता अधिकारी) की ओर जांच की शेष कार्यवाही पूर्ण कर अपना प्रतिवेदन उपलब्ध कराने बावत।
- 3- डॉ. के.एल.साहू, सेवानिवृत्त संचालक, (मलेरिया) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें भोपाल को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे प्रकरण से संबंधित समस्त अभिलेख दिनांक 04/01/2018 के पूर्व डॉ. बी.एन. चौहान, संचालक, एन.एच.एम. को उपलब्ध करावें।
- 4- डॉ. बी.एन. चौहान, संचालक, एन.एच.एम. की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 04/01/2018 के पूर्व प्रकरण से संबंधित अभिलेख डॉ. के.एल.साहू से प्राप्त कर अवगत करावें।
- 4- डॉ. अशोक शर्मा, द्वारा आयुक्त स्वास्थ्य सेवाएँ भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।


सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग